





प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र			
	<b>राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर</b> <b>ई-प्रवेश पत्र ( प्रोविजनल अनुमति, पात्रता की शर्त के अधीन )</b>		रोल नम्बर: 5017312
			आवेदन आई.डी.: 202117894965
			लिंग: Male
परीक्षा का नाम : ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा (प्रारंभिक), 2021			  
परीक्षार्थी का नाम	CHANDRESH PATIDAR		
पिता/पति का नाम	DINESH PATIDAR		
श्रेणी	OBC-NON CREAMY		
स्थायी पता	VPO CHITRI, 314035 TEHSIL GALIYAKOT DISTT DUNGARPUR RAJASTHAN District-DUNGARPUR State-Rajasthan Pincode-314035		

परीक्षा कार्यक्रम और केन्द्र का विवरण		
परीक्षा की तिथि व समय	परीक्षा केन्द्र का जिला	परीक्षा केन्द्र कोड नं. एवं परीक्षा केन्द्र का नाम व पता
27-Dec-2021 सोमवार 10:00 AM to 12:00 PM	BANSWARA	03014, TINY TOTS SR. SEC. SCHOOL, KAGDI PICKUP, OPPOSITE SAI BABA MANDIR, RATLAM ROAD, BANSWARA, 2962242937
SSO Id PATIDARCHANDRESH2002 IP Address 157.38.92.245 Timestamp 2021-12-23 14:11:38.0		

- नोट:-
- परीक्षार्थी ई-प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों को ध्यान से देखें यदि इनके बारे में कोई आपत्ति हो तो बोर्ड कार्यालय में अविलम्ब, किन्तु परीक्षा से पूर्व सम्पर्क करें।
  - परीक्षार्थी ट्रेन/बस की छत एवं पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें, इस प्रकार यात्रा करना कानूनी अपराध है। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें।
  - परीक्षार्थियों के लिए संलग्न अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पालना करें।

सचिव

## परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश:

- कोरोना (कोविड-19) वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करें।
- परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगा कर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मध्यनजर अभ्यर्थियों के हेण्ड सेनेटाइज/वॉश एवं तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित सहयोग करें।
- ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
- परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी है:- ई-एडमिट कार्ड, 2.5cm.X2.5cm. साइज का नवीनतम रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु), नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक अतिरिक्त फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (मूल) जैसे:- मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पेन, पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, क्वाइटनर, स्लाईड रूल, ज्यामैट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व बोर्ड/केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा। केन्द्र पर उपरोक्त सामग्री के सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपरोक्त सामग्री को परीक्षा केन्द्र पर नहीं लावें।
- परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से एक घन्टा 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें, ताकि तलाशी एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- ओ.एम.आर. शीट में अधूरे/गलत रोल नम्बर भरने वाले, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नम्बर भरे जाने पर गलत रोल नम्बर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा।
- बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- विभागीय वेबसाइट पर ई-प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों का भी अध्ययन करें।
- ट्रेस कोड:-** परीक्षार्थी के लिए निम्नानुसार ट्रेस कोड लागू किया गया है:-

- i. कोट, टाई, मफलर, जाकेट, जरकिन, ब्रोजर, शॉल आदि पहन कर नहीं आवें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आवें। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आवें। महिलायें अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगा कर आ सकती हैं। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवें।
- ii. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतार कर/सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी।
- iii. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर आने की अनुमति होगी परन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
- iv. परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
- v. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैंडल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
- vi. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
- vii. गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.27(14)गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कडा, कृपाण एवं पगडी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जावे। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर एक घन्टा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि इस स्क्रीनिंग दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई सन्देहास्पद उपकरण (SUSPECT DEVICE) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जावे।

परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।

## परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1. फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
2. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने और उत्तर को गोला करने के लिए परीक्षार्थी को नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन स्वयं को लाना होगा। अन्य किसी प्रकार का पेन लाने की अनुमति नहीं है।
3. असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से **01 घण्टे 30 मिनट** पहले परीक्षा केन्द्र पर अवश्य उपस्थित हों जावें, ताकि सतर्कता दल द्वारा प्रतिबंधित सामग्री बाबत उनकी तलाशी समय पर पूरी हो जाए। तलाशी के लिए पंक्तिवद्ध शांतिपूर्वक खड़े रहेंगे एवं केन्द्र परिसर में भी पूर्ण शान्ति बनाये रखेंगे। परीक्षा कक्ष में आपको परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जायेगा। इस दौरान आपका किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दुराचरण की श्रेणी में माना जाकर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
4. **परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जायेगा एवं इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
5. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर आपकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है एवं आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।
6. परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात् तक एवं समाप्त होने से आधा घंटा पूर्व तक की अवधि में शौचालय व पेशाब आदि कार्य से कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
7. किसी परीक्षार्थी को ई-एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
8. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी।
9. परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक सौंपने के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी।
10. उत्तर लिखने से पूर्व परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की भली-भांति जांच कर लेनी चाहिए कि दोनों का क्रमांक समान है, प्रश्न पत्र में प्रश्न सं. 1 से अन्तिम प्रश्न सं. तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं पृष्ठ सं. 1 से अन्त तक सभी पृष्ठ संलग्न हैं। यदि प्रश्नपत्र एवं उत्तर पत्रक के क्रमांकों में कोई भिन्नता है या मुद्रण में कोई त्रुटि है तो परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट की समयावधि में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक का दूसरा सैट अभिजागर से प्राप्त कर लें अन्यथा किसी भी त्रुटि के लिए स्वयं परीक्षार्थी की ही जिम्मेदारी होगी। **परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ और दूसरी प्रति (कार्बन प्रति) के पीछे के पृष्ठ पर उल्लेखित निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को सही माना जायेगा।**
11. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर परीक्षा से संबंधित उपलब्ध प्रेस विज्ञप्तियों एवं निर्देशों का सावधानी से पालन करना होगा।
13. परीक्षार्थी को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् प्रश्न-पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। मूल ओ.एम.आर. शीट को परीक्षार्थी द्वारा स्वयं फाड़ कर अलग नहीं करना चाहिए। अन्यथा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के क्षतिग्रस्त होने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। इन्हें अभिजागर स्वयं सावधानी से अलग कर एकत्रित करेंगे।
14. **परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड की पालना अनिवार्य है।**
15. विशेष योग्यजन जिन्हें नियमों के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा देय है, वे परीक्षा की नियत तिथि से तीन कार्य दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।

16. परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों/उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दण्डनीय है। कृपया उत्तर पत्रक ( ओ.एम.आर.) भरने से पूर्व उसके कार्बन प्रति पर दिये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद ही ओ.एम.आर. शीट में प्रविष्टियां करें। ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पाइन्ट भी लगाया जायेगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जायेगा।

17. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे। उत्तर कुंजी अपलोड होने के पश्चात् 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए शुल्क राशि ₹ 100/- जमा करानी होगी।

18. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 की धारा 6 एवं The Rajasthan Staff Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इन Regulations के प्रावधान बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

### राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) हेतु दिशा निर्देश

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 (1992 का अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या ₹. 2000/- तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसी तरह धारा 7 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या ₹. 5000/- तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विनियम, 2016 के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की जा सकती है:-

क्र.स.	प्रकरण की प्रकृति	दण्ड/ कार्यवाही
1.	1. परीक्षा के दौरान बोर्ड के नियम/निर्देश एवं परीक्षा से जुड़े हुये पदाधिकारियों यथा केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, उप केन्द्राधीक्षक, अभिजागर, उड़नदस्ता के सदस्य, पर्यवेक्षक इत्यादि के निर्देशों का उल्लंघन करना, 2. परीक्षा के लिये जारी ई-प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों का उल्लंघन करना। 3. परीक्षा केन्द्र के परिसर (परीक्षा हॉल, शौचालय, बरामदे सहित) में परीक्षा अवधि में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करना 4. नियम निर्देशों का उल्लंघन कर परीक्षा केन्द्र से जाना/भागना	अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जा सकती है।
2.	1. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी की सीट के पास परीक्षा हॉल की दीवारों, फर्नीचर परीक्षार्थी के शरीर के किसी अंग या कपड़ों पर प्रश्न पत्र के विषय की सामग्री लिखी हुई प्राप्त होना या पाया जाना (इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को छोड़कर), भले ही उसका उपयोग नहीं किया गया हो। 2. अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका से नकल करने का प्रयास करना।	अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व एक साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
3.	1. उत्तरपुस्तिका से किसी प्रकार की छेड़छाड़/टेम्परिंग करने का प्रयास करना। 2. परीक्षार्थी के पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 2(i) में वर्णित सामग्री जिसका प्रश्नपत्र हल करने में उपयोग किया गया हो, पाया जाना।	अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व दो साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
4.	1. उत्तरपुस्तिका फाड़ना या उत्तरपुस्तिका लेकर परीक्षा हॉल से भागना, 2. निर्धारित घोषणाएँ/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने से इन्कार करना। 3. उत्तरपुस्तिका में अन्य परीक्षार्थी के रोल नम्बर लिखना। 4. उत्तरपुस्तिका में पहचान के चिन्ह बनाना, अभद्र सामग्री लिखना या अभद्र स्केच बनाना	अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व तीन साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
5.	1. परीक्षा हॉल/परीक्षा केन्द्र में ब्लूटूथ, सैलफोन, पैजर, घड़ी, कैमरा, लैस, केलकुलेटर, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया जाना भले ही परिधानों, गहनों या बेल्ट, जूते इत्यादि में छुपाये गये अथवा नहीं 2. नकल के सबूत नष्ट करना या नष्ट करने का प्रयास करना, 3. परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद में परीक्षा से जुड़े हुये पदाधिकारियों को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना या उनसे दुर्व्यवहार करना, 4. प्रश्न पत्र हल करने में किसी अन्य व्यक्ति/बाहरी व्यक्ति की सहायता लेना,	अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व पाँच साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।

	<p>5. परीक्षा आवेदन में गलत सूचनाएँ देना या सूचना छुपा लेना</p> <p>6. परीक्षा से जुड़े हुये किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करना, प्रलोभन देना या दबाव डालना।</p>	
6.	<p>1. फर्जी / जाली / कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना</p> <p>2. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना।</p> <p>3. ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के सम्बन्ध में दी गई सूचना मिथ्या पाया जाना</p> <p>4. परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न करना, अन्य परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिये बहिष्कार करने के लिये उकसाना या परीक्षा केन्द्र में अव्यवस्था उत्पन्न करना का प्रयास करना</p> <p>5. परीक्षा की गोपनीयता भंग करना / भंग करने का प्रयास करना</p> <p>6. इस अनुसूची में उल्लेखित कोई भी अवैध कार्य के द्वारा बोर्ड / वयन बोर्ड पर अपने पक्ष में दबाव डालने का प्रयास करना</p> <p>7. परीक्षा केन्द्र में कोई भी अस्त्र - शस्त्र लेकर आना</p> <p>8. परीक्षा केन्द्राधीक्षक या परीक्षा से जुड़े हुये किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई करना/झगड़ा करना / प्रताड़ित करना</p> <p>9. अनुचित तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना।</p> <p>10. परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी गोपनीय कार्य जुड़े हुये किसी व्यक्ति की पहचान, विवरण आदि पता करना।</p>	अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर आजीवन रोक लगाई जा सकती है।
7.	परीक्षा ड्यूटी में लगाये गये किसी लोक सेवक द्वारा बोर्ड के नियम-विनियमों में निषिद्ध कार्य अपराध किया जाना।	बोर्ड के प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही तीन माह की अवधि में पूरी कर आदेश की प्रति बोर्ड को भिजवाई जावेगी।
8.	उपरोक्त के अलावा अन्य सभी प्रकरण।	बोर्ड के निर्णय के अनुसार

नोट: विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) देखें